# लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन सहभागिता

| पा.सं. | अध्याय शीर्षक | कौशल | क्रियाकलाप |
|---|---|---|---|
| 22 | लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन सहभागिता | आत्म बोध, सहभागिता, निर्णय लेना, समस्या समाधान | लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझना |

## अर्थ

लोकतंत्र में जन सहभागिता अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। चुनाव में मतदान कर लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनने में भागीदारी करते हैं। सरकार के काम काज पर चर्चा और बहस, अखबार में सम्पादकीय लिखना, धरना, प्रदर्शन, किसी राजनीतिक दल के लिये जन सभायें करना, चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना आदि जन सहभागिता के उदाहरण हैं।

**'जनमत' का अर्थ**

जनमत न तो लोगों की आम सहमति है और न ही यह बहुसंख्यक लोगों का मत है बल्कि यह किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर लोगों की सोची समझी, निष्पक्ष और तर्कपूर्ण राय है। जनमत की निम्नलिखित विशेषतायें होती हैं-

- यह विचारों का योग है।
- यह तर्क पर आधारित होता है।
- इसका लक्ष्य समूचे समुदाय का हित होता है।
- यह सरकार के निर्णयों, राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली तथा प्रशासन के संचालन को प्रभावित करता है।

## जनमत का महत्व

लोकतांत्रिक प्रणाली में जनमत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

- एक स्वतंत्र और जागरूक जनमत सरकार की असीमित शक्ति पर अंकुश होता है।
- यह लोगों की जरूरतों के प्रति सरकार को उत्तरदायी बनाता है।
- जनमत सरकार को जनता के हित में कानून बनाने के लिए प्रेरित करता है।
- इससे लोकतत्र के मानक व मूल्य मजबूत होते हैं।
- जनमत लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है।

## जनमत का निर्माण और व्यक्त करने वाले विभिन्न अभिकरण

- मुद्रण मीडिया (प्रिन्ट मीडिया)
- इलैक्ट्रोनिक मीडिया
- राजनीतिक दल
- विधान मंडल
- शिक्षण संस्थान
- चुनाव

## चुनावों का महत्व

चुनाव एक दल से दूसरे दल को सत्ता के शान्तिपूर्ण हस्तांतरण को सुनिश्चित करते हैं।

**चुनाव के प्रकार**

भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष; दो प्रकार के चुनाव होते हैं।

- **प्रत्यक्ष चुनाव:** जिन चुनावों में आम लोग मतदान कर सीधे अपने विधायी निकायों के लिये प्रतिनिधियों का चुनाव करते है उन्हें प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। लोक सभा, विधान सभा तथा स्थानीय संस्थाओं के चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के उदाहरण हैं।
- **अप्रत्यक्ष चुनाव:** आम जनता द्वारा चुने हुये प्रतिनिधि जब कुछ पदों और संस्थाओं के पदाधिकारियों तथा सदस्यों का चुनाव करते है तो उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। भारत में चुनावों को समय तथा विस्तार के आधार पर तीन वर्गों में बांटा जाता है–
  (i) आम चुनाव
  (ii) मध्यावधि चुनाव
  (iii) उप चुनाव

## भारत का निर्वाचन आयोग

भारत में चुनाव कराने का कार्य एक निष्पक्ष संवैधानिक प्राधिकरण अर्थात निर्वाचन आयोग को सौपा गया है। वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा दो अन्य आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

**निर्वाचन आयोग के कार्य**

- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना
- मतदाता सूची तैयार करना
- राजनीतिक दलों को मान्यता देना
- विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना
- चुनाव अधिकारियों के लिये दिशा निर्देश तथा आचार संहिता जारी करना।
- चुनाव सम्बन्धी शिकायतों का निपटारा करना
- चुनाव करवाना, चुनाव कर्मियों की नियुक्ति, मतों की गिनती कर नतीजों की घोषणा करना

**चुनाव पदाधिकारियों का महत्व**

- **चुनाव अधिकारी:** प्रत्येक चुनाव/निर्वाचन क्षेत्र में एक अधिकारी को पीठासीन अधिकारी का दर्जा प्राप्त होता है। वह उम्मीदवारों के नामांकन पत्र प्राप्त कर उनकी जांच करता है, उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव करवाता है; मतगणना सुनिश्चित कर चुनाव नतीजों की घोषणा करता है।
- **पीठासीन अधिकारी:** यह एक मतदान केन्द्र का प्रभारी होता है। वह सुनिश्चित करता है कि मतदान केन्द्र में पंजीकृत प्रत्येक मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सके। चुनाव के दौरान जाली मतदान न हो। वह मतपेटियों या ई.वी.एम. को चुनाव अधिकारी को सौपता है।
- **चुनाव अधिकारी:** प्रत्येक पीठासीन अधिकारी की सहायता के लिये तीन या चार कर्मचारी होते हैं जिसे चुनाव अधिकारी कहा जाता है। उन्हें चुनाव के दौरान मतदाताओं की पहचान को जांचने, न मिटने वाली स्याही लगाने, मतदाताओं के हस्ताक्षर कर वोट डालवाने जैसे कार्य सौपे जाते हैं।

## भारत में निर्वाचन प्रक्रिया

यह एक लम्बी प्रक्रिया है जिसके विभिन्न चरण होते हैं:

- चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन
- मतदाता सूची तैयार करना
- चुनाव की अधिसूचना
- चुनाव कार्यक्रम की घोषणा
- नामांकन पत्र भरना
- चुनाव चिन्ह जारी करना
- चुनाव करवाना
- मतों की गिनती
- चुनाव परिणाम घोषित करना

चुनाव सम्बन्धी उपरोक्त कार्य चुनाव आयोग द्वारा किये जाते हैं। चुनाव के माध्यम से भागीदारी मतदान के अधिकार पर निर्भर करती है। भारत में मतदान के लिये क्या योग्यता है? भारत में संविधान द्वारा सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले भारतीय नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार प्राप्त है।

## चुनाव सुधाार

कई बार यह सुनने में आता है हमारी निर्वाचन प्रणाली में कुछ दोष या कमियां हैं जिन के कारण चुनाव वास्तविक रूप से स्वतंत्र व निष्पक्ष नहीं हो पाते। इसलिये चुनाव सुधार की आवश्यकता महसूस की जाती है।

**चुनाव प्रणाली की कमियां**

- जाली मतदान तथा उम्मीदवार द्वारा चुनाव का गैरकानूनी तरीके से अपने पक्ष में संचालन करना
- बाहुबल का प्रयोग कर मतदाताओं को डराना धमकाना
- मत प्राप्त करने के लिये धन का दुरूपयोग
- सरकारी तंत्र का दुरूपयोग
- मतदान केन्द्र पर कब्जा, चुनाव व राजनीति का अपराधीकरण

**चुनाव सुधारों के लिये सुझाव**

- भारत में वर्तमान समय में प्रचलित ''जो सबसे आगे वही जीते'' ''बहुसंख्या प्रणाली'' के स्थान पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली शुरू की जानी चाहिये।
- उम्मीदवार और राजनीतिक दल द्वारा किये गये खर्चे का सही लेखा जोखा होना चाहिये।
- मतदान केन्द्र पर कब्जा तथा जाली मतदान जैसी घटनाओं के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिये।
- चुनावों के खर्चे का वहन राज्य द्वारा किया जाना चाहिये।
- चुनाव प्रचार के दौरान जाति और धर्म आधारित अपीलों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये।

## स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

**प्र.** लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग किस प्रकार भागीदारी करते हैं? व्याख्या कीजिए।

**प्र.** जनमत के निर्माण में सहायता करने वाले अभिकरणों पर प्रकाश डालिये।

**प्र.** उन शिकायतों को सूचीबद्ध कीजिए जो भारत की निर्वाचन प्रणाली के विषय में आपने कभी सुनी हों। भारत में वर्तमान निर्वाचन व्यवस्था में सुधार के लिये सुझाव दीजिए।